न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/103
मुकदमा नम्बर 47/2025 दावा दर्ज दिनांक–20.03.2025

राधेश्याम पुत्र राजूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम कसेरू,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री श्रवण सिंह
वकील प्रतिवादी :– पैरो. राज.

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक 12.05.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम कसेरू के आराजी नये खसरा नं. 453 रकबा 0.37 है0, खसरा नं. 454 रकबा 0.50 है0 एंव आराजी खसरा नं. 877/441 रकबा 1.40 है0 में श्यामलाल पुत्र राजू के स्थान पर वादी राधेश्याम पुत्र राजूराम खातेदार काश्तकार है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी की जारी की गई। प्रतिवादी की और पैरो. राज. उपस्थित। प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 2/5/2025 पेश की गई जिसके अनुसार राधेश्याम व श्याम लाल नाम का व्यक्ति एक ही है फर्द मौका 02.05.2025 संलग्न किया है।

बहस वकील वादी द्वारा पेश करने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वाद में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वादी ने स्वंय का शपथ पत्र पत्रावली पर पेश कर रखा है। पटवारी हल्का कसेरू कि रिपोर्ट तथा फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार भी श्यामलाल व राधेश्याम एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम कसेरू के आराजी नये खसरा नं. 453 रकबा 0.37 है0, खसरा नं. 454 रकबा 0.50 है0 एंव आराजी खसरा नं. 877/441 रकबा 1.40 है0 में वादी का नाम श्यामलाल पुत्र राजू के स्थान पर राधेश्याम पुत्र राजूराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना के लिये पृथक से तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2025 / 103
मुकदमा नम्बर 47 / 2025

दावा दर्ज दिनांक–20.03.2025

राधेश्याम पुत्र राजूराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम कसेरू,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती
(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम कसेरू के आराजी नये खसरा नं. 453 रकबा 0.37 है0, खसरा नं. 454 रकबा 0.50 है0 एंव आराजी खसरा नं. 877 / 441 रकबा 1.40 है0 में वादी का नाम श्यामलाल पुत्र राजू के स्थान पर राधेश्याम पुत्र राजूराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना के लिये पृथक से तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन..........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–........ .....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 12 माह 05 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00